न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक   /2013 निगरानी

खुर्शीद आलम पिता अब्दुल रशीद कुरैशी,
उम्र–45 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार,
निवासी–7, तिलकनगर ए.बी.रोड़ देवास
——— आवेदक

R - 2014-I/13

विरूद्ध

1– जावेद पिता अकबर पटेल, उम्र–30 वर्ष,
निवासी–टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय,
टोंकखुर्द, जिला देवास

श्री .... को
द्वारा आज दि. 24.5.13
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

———अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय, टोंकखुर्द, जिला देवास के प्रकरण क्रमांक 21/अ–12/12–13 में सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 03/02/2013 से असंतुष्ट एवम् दुखीत होकर निम्न कारणों के आधार पर जानकारी दिनांक से निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट असत्य एवम् निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अनावेदक क्रं. 1 ने जिस भूमि का सीमांकन कराया उसमें आवेदक जो कि पड़ोस की भूमि का लीज होल्डर हैं को सूचना पत्र दिये बिना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

(387)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2014-एक/13 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	